



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263245
CG-DL-E-20052025-263245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 281]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सा.का.नि. 324(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय की दिनांक 22 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ), जो तारीख 27 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, पैरा (3) में,-

(i) "क.राज्य के मनोनीत सदस्य" शीर्षक के अधीन, सारणी में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9.	महाराष्ट्र	डॉ. मिलिंद बाबाराव, संकायाध्यक्ष आयुर्वेद, और यूनानी, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक,;
-----	------------	---

(ii) "ख.संघ राज्य क्षेत्रों के मनोनीत सदस्य" शीर्षक के अधीन, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1.	दिल्ली	डॉ. एम.बी. गौड़, निदेशक, प्राचार्य चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, दिल्ली।
-----	--------	--

[फा. सं. वाई-18011/4/2020-ईपी-III]

सत्यजीत पॉल, उप महानिदेशक

नोट: मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 666(अ) तारीख 27 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कि गई थी और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 597(अ) तारीख 27 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित कि गई थी।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Ayush, number G.S.R. 666(E), dated the 22nd September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th September, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph (3),-

(i) under the heading “A. Nominees of the State”, in the table, after Serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“9.	Maharashtra	Dr. Milind Babarao, Dean faculty of Ayurveda and Unani, Maharashtra University Health Science, Nashik”;
-----	-------------	---

(ii) under the heading “B. Nominees of Union Territories”, in the table, for Serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“1.	Delhi	Dr. M.B. Gaur, Director, Principal Ch. Brahm Prakash Ayurveda Charak Sansthan, Delhi”.
-----	-------	--

[F. No. Y-18011/4/2020-EP-III]

SATYAJIT PAUL, Dy. Director General

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 666(E), dated 27th September, 2021 and was latest amended *vide* number G.S.R. 597(E), dated the 10th August, 2023.